उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
1—चालंग हिल्स, पो॰आ॰—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाषः 1800 270 9818
वेबसाईटः— urtsc.uk.gov.in ई—मेलः— ukrtsc@gmail.com

संख्याः 605/21–14(01)/2015
देहरादून, दिनांकः 13 जुलाई, 2021

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 20, वर्ष 2011) की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित प्रभावी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग अपने कार्यों के प्रभावी प्रबंधन और व्यवहरण हेतु निम्नलिखित

विनियम (संशोधन) संख्याः 02, वर्ष 2021

बनाते हैः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

   (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम (संशोधन), 2021' होगा।

   (2) यह दिनांक 20.07.2021 से लागू एवं प्रवृत्त होगा।

2. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015 के अध्याय—6 का संशोधन

   विनियम संख्या—12 का उपनियम (4) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः—

   आयोग के व्यवहरण के सुगम संचालन के लिए आयोग के प्रत्येक कार्मिकों को CUG Connection उपलब्ध कराया जाये ताकि इंटरनेट के माध्यम से की जा रही बैठकों, निरीक्षणों तथा अधिसूचित सेवाओं के संबंध मे की जा रही कार्यवाहियों एवं अन्य शासकीय कार्यो मे व्यवधान उत्पन्न न हो तथा कोविड काल मे घर से कार्य करने हेतु उक्त सुविधा का उपयोग किया जाये।

   इस हेतु कार्यकारी आदेश पृथक से जारी किये जायें।

(एस॰ रामास्वामी)
मुख्य आयुक्त
13/07/21

दिनांकः— 13 जुलाई, 2021